

राजस्थान



सरकार

## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 62/नागौर/2005-2006

यह प्रमाणित किया जाता है कि : टाईटेक शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी

जिला नागौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

(राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 27 माह जून

पंच को नागौर में दिया गया।



[Signature]  
रजिस्ट्रार संस्था  
नागौर

MBlatic  
PRINCIPAL  
HI/TECH SCHOOL  
KUCHAMAN CITY